न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 183 / 2019

1 साधु सिह सिधु पुत्र जग्ग सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 जसवीर कौर सिधु पत्नी साधु सिंह सिधु निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थीगण)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक : 12.2.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 का नाम साधु सिंह सिधु व प्रार्थी संख्या 2 का नाम जसवीर कौर सिधु पत्नी साधु सिंह सिधु है जो कि प्रार्थी संख्या 1 का पूर्व में नाम साधु सिंह व प्रार्थी संखय 2 का पूर्व में नाम जसवीर कौर था एव प्रार्थीगण ने अपने नाम के आगे सिधु रखा है जिसका प्रकाशन 10.08.2019 को समाचार पत्र में करवाकर अपने नाम आगे सिधु का अंकन करवाया है एव प्रार्थीगणके आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तोवजात में भी का नाम सही अंकन करवाया है।चक 31 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 74/78 प.न. 52/122 मु.न. 50 कि.न. 13/2, 14 ता 25 में 3.163 है. नहरी कुल खाता 3.163 है. नहरी आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम साधु सिह पि.मु. जंग सिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम जसवीर कौर पत्नी साधु सिंह अंकित है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थनापत्र है।प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव प्रार्थी संख्या2 के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दान पत्र के जरिये हस्तांतरित की गयी है जो कि प्रार्थी संखय 1 के नाम जब आराजी दर्ज हुयी थी तब प्रार्थी संख्या 1 का नाम साधु सिंह पुत्र जंग सिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम जसवीर कौर पत्नी साधु सिंह ही था जो कि प्रार्थीगण ने अगस्त में अपना नाम में परिवर्तन किया एव प्रार्थी संख्या 1 ने अपना नाम "साधु सिंह पि.मु. जंग सिंह" से बदलकर "साधु सिह सिधु पुत्र जग्ग सिह सिधु " व प्रार्थी संख्या 2 ने अपना नाम "जसवीर कोर सिधु पत्नी साधु सिह सिधु " से बदलकर "जसवीर कौर सिधू पत्नी साधु सिंह सिधु" रख लिया है एव जिसका प्रकाश अखबार में दिनांक 10.08.2019 को करवाया गया था एव प्रार्थीगण के आवश्यक दस्तावेजात में भी प्रार्थीगण का नाम बदलकर वर्तमान में रखे गये नाम अनूसार अंकित हो गया है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी में प्रार्थीगण का नाम पूर्व में प्रचलित नामों के आधार परदर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है प्रार्थीगण ने अपना किसी प्रकार का अनूचित लाभ उठाने के लिये चेंज नही करवाया है, प्रार्थीगण कत्तई स्वच्छहस्त है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम वर्तमान मे रखे गये नामों अनूसार अंकित न होकर पूर्ववर्ती नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाकर प्रार्थी संख्या 1 का नाम 'साधु सिंह पि.मु. जंग सिंह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली' के

Scanned by CamScanner

स्थान पर ''साधु सिंह सिधु पुत्र जग्ग सिह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम 'जसवीर कौर पत्नी साधु सिंह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली' के स्थान पर ''जसवरी कौर सिधु पतनी साधु सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' दर्ज करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण नाम दर्ज चक 31 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 74/78 प.न. 52/122 मु.न. 50 कि.न. 13/2, 14 ता 25 में 3.163 है. नहरी कुल खाता 3.163 है. नहरी आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर '' साधु सिंह पि.मु. जंग सिह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' के स्थान पर ''साधु सिह सिधु पुत्र जग्ग सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम दुरूस्त किया जाकर ''जसवीर कौर पत्नी साधु सिह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' के स्थान पर ''जसवीर कौर सिधु पत्नी साधु सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी। बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी प्रार्थीगण के नाम से विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थीगण ने अपने नाम के आगे जाति का अंकन करवाया है जो कि प्रार्थीगण के आवश्यक दस्तावेजात में भी जाति दर्ज हो चूकी है एव अब प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में भी अपने नाम के आगे जाति का अंकन करवाना चाहते है इस सम्बध में प्रार्थीगण ने अखबार में प्रकाशन की प्रति पेश की है एव सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया है, इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति का अंकन हो जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है किः– चक 31 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 74/78 प.न. 52/122 मु.न. 50 कि.न. 13/2, 14 ता 25 में 3.163 है. नहरी कुल खाता 3.163 है. नहरी आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर '' साधु सिंह पि.मु. जंग सिह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' के स्थान पर ''साधु सिह सिधु पुत्र जग्ग सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम दुरूस्त किया जाकर ''जसवीर कौर पत्नी साधु सिह जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' के स्थान पर ''जसवीर कौर सिधु पत्नी साधु सिंह सिधु जाति जट सिख निवासी बुधरवाली'' दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 12/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:25:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: